


न्यायालय, आयुक्त कार्यालय, कोशी प्रमंडल, सहरसा।

ज्ञापांक 3359 विधि


सहरसा, दिनांक 22-11-2023


प्रतिलिपि:- मो० शमीम इलियास पूरूम, पिता-लखन साह इलियास गुलाम रसूल, सा०-तेलिया हाट, पो०-बनमा ईटहरी, थाना-सलखुआ, जिला-सहरसा को आयुक्त न्यायालय के भूमि विवाद अपील वाद सं०-105/2015 में पारित आदेश की प्रति सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई०टी० असिस्टेंट, कोशी प्रमंडल, सहरसा को आदेश की प्रति संलग्न करते हुए प्रमंडलीय वेबसाईट पर अपलोड कर वापस करने हेतु प्रेषित।

  
for प्रभारी पदाधिकारी, विधि  
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

लेखापित एवं संशोधित।

  
प्रमंडलीय आयुक्त  
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

  
प्रमंडलीय आयुक्त  
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

आदेश-पत्रक

( देखें अभिलेख हस्तक, 9989 का नियम 929 )

आदेश पत्रक - ता0.....से.....तक  
 जिला....., सं0....., सन् 99.....  
 केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या किस तारीख 9	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाही के बारे में टिप्पणी, तारीख-सहित 3
---------------------------------	--------------------------------	---

**न्यायालय आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा**

**भूमि विवाद अपील वाद संख्या:-105/2015**

**मो0 शमीम उर्फ पूनम.....अपीलकर्ता**

**-बनाम-**


**राज्य एवं अन्य..... रेसपॉण्डेन्ट**

**-:: आदेश ::-**

प्रस्तुत भूमि विवाद अपील वाद मो0 इदरीश एवं अन्य, पिता- स्व0 अब्दुल गफ्फार, सा0-तेलियाहाट, पो0+थाना-सलखुआ बनमा ईटहरी, जिला-सहरसा के द्वारा न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, सिमरी बख्तियारपुर के भूमि विवाद वाद सं0-90/2013 में दिनांक-18.02.2015 को पारित आदेश के विरुद्ध लाया गया है।


वाद की सुनवाई से आवेदक के लगातार अनुपस्थित रहने से ऐसा प्रतीत होता है कि वाद में उनकी कोई रुचि नहीं है। अतः Dismiss for default के कारण वाद को खरिज किया जाता है। इसी के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। इसकी सूचना सभी संबंधितों को देते हुए निम्न न्यायालय से प्राप्त संचिका संबंधित कार्यालय को वापस करें।

लेखापित एवं संशोधित।



प्रमंडलीय आयुक्त

कोशी प्रमंडल, सहरसा।



प्रमंडलीय आयुक्त  
 कोशी प्रमंडल, सहरसा।